2018/00145

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 11/2018 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स घासीलाल मिष्ठान भण्डार, मुख्य बाजार, सांगानेर, जयपुर।
2. श्री गुड्डू सैनी मालिक फर्म, मैसर्स श्री घासीलाल मिष्ठान भण्डार, मुख्य बाजार, सांगानेर, जयपुर।
3.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर

उपस्थित श्री.

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

दिनांक 14-10-2019

निर्णय

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.2018 को जिला रसद अधिकारी जयपुर
के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों के वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर
राजेन्द्र बूसर प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मुख्य बाजार सांगानेर में मैसर्स
घासीलाल मिष्ठान भण्डार, मुख्य बाजार सांगानेर पर पहुंच कर दुकान की तलाशी लेने पर 06
घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम के पाये गये। इन 06 सिलेण्डरों में से 2 गैस सिलेण्डर
रबड पाईप द्वारा भट्टी से जोड कर व्यावसायिक उपयोग हेतु मावा/रबडी/बर्फी बनाई जा रही थी।
मौके पर भट्टी पर श्री भैरूलाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी निवासी सोडा बावडी तहसील
मालपुरा जिला टोंक हलवाई कार्य करते हुये मिले जिन्होने पूछने पर स्वयं को मजदूरी पर हलवाई
कार्य किया जाना बताया। फर्म मालिक का नाम श्री गुड्डू सैनी होना बताया। उक्त व्यवसाय स्थल
दुकान पर किशन पुत्र गुड्डू सैनी उम्र 12 वर्ष (नाबालिग) उपस्थित मिले। जिन्होने पिताजी श्री
गुड्डू सैनी को अस्पताल जाना बताया। मौके पर श्री भैरूलाल सैनी एवं श्री किशन (नाबालिग) पुत्र
से व्यवसाय के अनुज्ञा पत्र व उक्त व्यवसाय स्थल पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों के
दस्तावेज मागें किन्तु मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर मैसर्स सरस्वती गैस सर्विस,
सांगानेर के प्रतिनिधि श्री नवीन तम्बोलिया पुत्र श्री प्रेमचन्द तम्बोलिया को सॉल्टर मशीन के साथ
बुलाकर उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया, जिस पर सिलेण्डरों में 14.200
किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा
घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम

गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल.01आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स सरस्वती गैस सर्विस जयपुर के प्रतिनिधि श्री नवीन तम्बोलिया की सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी.14.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 02.05.2018 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ, किन्तु आगामी नियत पेशियों पर अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार रसद नियुक्त की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स घासीलाल मिष्ठान भण्डार, मुख्य बाजार सांगानेर पर पहुंच कर दुकान की तलाशी लेने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम के पाये गये। इन 06 सिलेण्डरों में से 2 गैस सिलेण्डर रबड पाईप द्वारा भट्टी से जोड कर व्यावसायिक उपयोग हेतु मावा/रबडी/बर्फी बनाई जा रही थी। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.04.2018 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण मैसर्स घासीलाल मिष्ठान भण्डार, मुख्य बाजार सांगानेर पर पहुंच कर दुकान की तलाशी लेने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम के पाये गये। इन 06 सिलेण्डरों में से 2 गैस सिलेण्डर

जिला कलक्टर
जयपुर

रबड पाईप द्वारा भट्टी से जोड कर व्यावसायिक उपयोग हेतु मावा/रबडी/बर्फी बनाई जा रही थी। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल.01 आई.ओ.सी.एल.)मय एल.पी.जी.14.200 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (05 एच.पी.सी.एल.01 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके है । तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर